न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 02 / 2013 / जैसलमेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. रमणलाल पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी पोकरण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर	बनाम	1.रावलराम पुत्र किशनाराम 2.ओमप्रकाश पुत्र किशनाराम 3.परमसुख पुत्र किशनाराम 4.गोपालाराम पुत्र जीवणाराम(फौत) 5.कालुराम पुत्र गोपाराम उर्फ गोमाराम 6.अम्बालाल पुत्र रूपाराम 7.टीकमचन्द पुत्र रामचन्द्र सर्वे जाति माली निवासी पोकरण जिला जैसलमेर। 8.तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर

उपस्थिति

1. वकील श्री सत्यनारायण पुरोहित अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अब्दुल रहमान मेहर रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की ओर से।

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 150 / 2012 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. अम्बालाल पुत्र रूपाराम जाति माली निवासी पोकरण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।	बनाम	1.रावलराम पुत्र किशनाराम 2.ओमप्रकाश पुत्र किशनाराम 3.परमसुख पुत्र किशनाराम 4.गोपालाराम पुत्र जीवणाराम(फौत) 5.कालुराम पुत्र गोपाराम उर्फ गोमाराम 6. रमणलाल पुत्र रामचन्द्र 7. टीकमचन्द पुत्र रामचन्द्र सर्वे जाति माली निवासी पोकरण जिला जैसलमेर। 8.तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 73 / 2009 बअनवान रावलराम वगैरह बनाम अम्बालाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राणीदान सेवक अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अब्दुल रहमान मेहर रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 21.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट / वादी संख्या 01 से 05 ने एक वाद ग्राम पोकरण के खसरा संख्या 1108

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

रकबा 08.04 बीघा बिस्वा किश्म चाही–2 आई हुई होने जो बेचान होने पर वर्तमान समय में खसरा संख्या 1108 रकबा 06.03 बीघा व खसरा संख्या 1775/1108 रकबा 02.01 बीघा किश्म चाही–2 आई हुई हैं उक्त भूमि में वक्त सेटलमेंट सीताराम पुत्र गिरधारी का 1/2 हिस्सा व गोपाला, किशना पिसरान जीवण 1/2 हिस्सा था वर्तमान समय में खसरा संख्या 1108 रकबा 06.03 बीघा भूमि में 2/3 हिस्सा रकबा 04.02 बीघा वादी संख्या 01 ता 05 की हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या एक ता तीन की 02.01 बीघा भूमि हैं जबकि वर्तमान खाते में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का 1/4 हिस्सा लिखा गया हैं जो गलत लिखा गया है उउक्त खसरा संख्या प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का 1/3 हिस्सा ही है प्रतिवादीयों द्वारा गलत बेचान खरीद बताकर 1/4, 1/4 हिस्सा बेचानकर्ता फुसा व रावल का नहीं होते हुए भी रेकर्ड में अमलदरामद किया गया हैं जो गलत दर्ज हुआ हैं। उक्त बेचान 25.07.1985 व 24.02.1986 को प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को किये गये हैं जो गलत किये गये हैं इन बेचानों को वादीगण के प्रति बेअसर व शून्य घोषित कराने का दावा अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आये अभिवचनों, अभिकथनों प्रतिउतरों एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य की अनदेखी करते हुए अपने विवके का इस्तेमाल किये बिना साक्ष्य का सही रूप से विवेचन किये बिना एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित की गई जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आये अभिवचनों, अभिकथनों प्रतिउत्तरों एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य की अनदेखी करते हुए अपने विवके का इस्तेमाल किये बिना साक्ष्य का सही रूप से विवेचन किये बिना तथा बिना प्रतिवादी एवं आवश्यक पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिये एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। उतरदाता/वादी संख्या 04 गोपालाराम पुत्र जीवणाराम की मृत्यु हुए को लगभग 14–15 माह से भी अधिक समय हो चुका हैं उसके दो लड़कियों सूरज व सांयती हैं लेकिन उनको पक्षकार बनाने के संबंध में वादीगण के द्वारा कोई प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया हैं तथा मृतक के विधिक उतराधिकारी को पक्षकार नहीं बनाने के कारण वादीगण का वाद अबैट हो चुका था उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के वाद को अबैट होना मानकर खारिज नहीं कर अपीलाधीन डिक्री पारित की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन विधि सम्मत नहीं है एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। वकील अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत पेश किये :–

RRT 2012(1) Page 719
RLW 2013(1) RJ Page 316
RLW 2016(1) RJ Page 159
RLW 2014(2) RJ Page 1259
RLW 2011(2) RJ Page 1208
RLW 2015(1) RJ Page 694
RRD 2009 Page 310

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया करीब 20–25 दिन घर रहा व अपने अधिवक्ता या अत्य अधिवक्ता से भी सम्पर्क नहीं कर सकता उसके पश्चात अपीलांट द्वारा अपने पोकरण स्थित अधिवक्ता से प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने हेतु मिलने गया। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय की नकले प्राप्त की गई जो अधूरी होने के कारण निर्णय की नई प्रतिलिपि व पत्रावली की नकल दिनांक 28.12.2012 पेश कर दी जिस पर दिनांक 01.01.2013 को नकल तैयार कर मुझे दी गई अपीलांट प्रार्थी को निर्णय की नकल व पत्रावली की नकल व आवश्यक कागजात प्राप्त कर अधिवक्ता से मिलकर तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार ग्राम पोकरण का वादग्रस्त खसरा संख्या 1108 रकबा 08.04 बीघा जमाबंदी संवत 1955 से 1974 (EXP-3A) मुताबिक सीताराम वल्द गिरधारी हिस्सा 1/2 गोपाल व किशना पिता जीवण हिस्सा 1/2 खातेदारी दर्ज है, जो सीताराम के फौत होने पर नामातरण संख्या 184 से उनके दो पुत्रों फूसाराम व रावताराम पुत्र सीताराम हिस्सा 1/2 दर्ज हुआ जिसकी नामातरण संख्या 218 (EXP-5A) की स्वीकृति से भी पुष्टि होती है। नामांतकरण संख्या 474 दिनांक 13.05.1973 (EXP-6A) के मुताबिक "जरिये तीन रूपया का स्टाम्प के बेचान 90 रूपये अखरे नीबे रूपयों में बेचान किया तारीख 01.10.1971 के अनुसार नामातरण भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत लवां द्वारा स्वीकृत किया गया जिससे क्रेता के नाम रकबा 02.01 बीघा खाता पृथक होकर शेष रकबा 06.03 बीघा "फूसाराम, रावता पिता सीताराम 1/3 हिस्सा, गोपाला किशन पिता जीवणा हिस्सा 2/3 रह गया जबकि नामातकरण संख्या 206 (EXP-7A) ग्राम पोकरण (RI जांच 07.08.1985) मुताबिक गत जमाबंदी खाता संख्या 206 में" फूसाराम रावता पिता सीताराम हिस्सा 1/2 गोपाल, किशना पिता जीवण 1/2 कौम माली साकिन देह खातेदार प्रविष्टि पाई गई है जो विक्रय विलेख दिनांक 25.07.1985 के फलस्वरूप भरा गया है जिसमें अपना 1/4 हिस्सा फूसाराम द्वारा 02.01 बीघा का कथन कर बेचान करने से अंबालाल पुत्र रूपाराम कौम माली साकिन पोकरण हिस्सा 1/4 रावता पिता सीताराम 1/4 गोपाला, किशना पिता जीवण 1/2 नामांतकरण हुआ। इसी क्रम में नातांतकरण संख्या 886(EXP-8A) (RI जांच 13.03.1986) रावताराम पुत्र सीताराम द्वारा 1/4 हिस्सा का कथन करके बेचान के मुताबिक विक्रय विलेख दिनांक 24.02.1986 से रावताराम पुत्र सीताराम माली 1/4 की जगह रमणलाल, टीकम पिता रामचन्द्र 1/4 प्रतिस्थापना होकर दर्ज हुआ है। ग्राम पोकरण के उपरोक्त दो नामांतरकरण संख्या 474 (वर्ष 1973) व नामातरकरण संख्या 206 (वर्ष 1985) क्रोनोलाजिक क्रम में नहीं होने से संदेहास्पद है। प्रथम बेचान के संबंध में ग्राह्य योग्य कोई साक्ष्य अभिलेख पत्रावली पर मौजूद नहीं है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड नामांतकरण से इसकी पुष्टि एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रभाव साबित होता है परन्तु इसका अमल दरामद अधिकार अभिलेख जमाबंदी में नहीं हो पाने से विवाद उत्पन्न हुआ है जो इस वाद का मूल कारण है। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी कथित कर दावा लाया गया है इसलिए सभी आवश्यक पक्षकार नहीं बनाने एवं स्व. किशनाराम के वादीगण पुत्रों के अलावा पुत्रियां भी है जिन्हे पक्षकार नहीं बनाया इसलिए भी अपीलाधीन निर्णय विधि की दृष्टि से दूषित है। वादी ओमप्रकाश की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी पी सी दिनांक 01.11.2011 को पेश किया जो आदेशिका दिनांक 09.11.2011 से स्पष्ट है। पत्रावली पर (पृष्ठ संख्या 67) रमणलाल (अपीलांट) का शपथ–पत्र है, जिसके प्रस्तुतिकरण एवं जिरह का अभाव है। वाद में कुल 10 तनकीयात कायम की गई है परन्तु तनकीवार निर्णय नहीं दिया गया है जो नियमानुसार सिद्धांततः दिया जाना आवश्यक है। वादी संख्या 04 गोपालाराम की फौतगी के फलस्वरूप उसके विधिक वारीसान (कायम मुकाम) को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कोई आदेश नहीं है। न ही उसके विधिक वारिसान की कोई तलबी कार्यवाही ही हुई है। संशोधित शीर्षक रिकॉर्ड पर लिया जाना नहीं पाया गया है क्योंकि निर्णय में वादी संख्या 04 गोपालाराम (मृतक) ही अंकित किया हुआ है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 73/2009 बअनवान रावलराम वगैरह बनाम अम्बालाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2012 अपास्त कर मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह <u>उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के संदर्भ में वाद विचारण में इंगित कमियों को दुरूस्त करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुति का</u> समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

21/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 21.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner